मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

File No.168/CEO/SVEEP/P.Q.10/2023 28202-204 Dated:- 14/12/23

सेवा में

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः–दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक हेतु तारांकित प्रश्न संख्या 10 श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रं संख्या सं.एफ.11(बी–1)VII/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./6042 दिनांक 05–12–2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्त

सु. रावत
(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी(स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी–दिल्ली के निजी सचिव।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

तारांकित प्रश्न संख्याः–10

दिनांकः–15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नामः–श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने पोलिंग बूथ हैं;	करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 263 मतदान केंद्र हैं।
ख) क्या यह सत्य है कि पिछले दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कुछ पोलिंग बूथ काट दिये गये थे;	प्रश्न इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, वास्तव में राज्य चुनाव आयोग से संबंधित हैं तथापि राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपि (अनुलग्नक–'अ') संलग्न है।
ग) यदि हाँ, तो इन काटे गये पोलिंग बूथ को कब तक दोबारा जोड़ दिया जायेगा;	प्रश्न इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, वास्तव में राज्य चुनाव आयोग से संबंधित हैं तथापि राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपि (अनुलग्नक–'अ') संलग्न है।
घ) क्या यह भी सत्य है कि अनाधिकृत बस्तियों के मतदाता होने के बावजूद उनके मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं; और	यह सत्य नहीं हैं।
ड.) मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने में सरलीकरण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?	(1) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्राप्त करने के लिए, निर्वाचक का नाम नवीनतम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। (2) भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करने की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:– क) स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी मतदाता पहचान पत्र की डिलीवरी ख) मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र वितरण निःशुल्क है। ग) यदि डाक विभाग अवितरित मतदाता पहचान पत्र लौटाता है तो उसे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किया जाता है। घ) यदि विशिष्ट मोबाइल नंबर चुनावी डेटाबेस में पंजीकृत है तो ई–मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

संलग्नः–(अनुलग्नक–'अ')

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी(स्वीप)

४५/c
अनुलग्नक 'अ'

STATE ELECTION COMMISSION
N C T OF DELHI & U.T. CHANDIGARH
NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone :23990915, 23914156, 23952340
E-mail:stateelectioncomm.delhi@gmail.com

No. F.1(212)VSQ/SEC/2022-23/ 14090

Dated: 11/12/2023

O/o the Chief Electoral Officer
Dy. No.
11 DEC 2023
3083
Delhi

To

The Addl..Chief Electoral Officer,
Old St. Stephens College Bldg,
Kashmere Gate, Delhi-6.

Sub: Delhi Assembly Starred Question No. 10B & C raised by Sh. Mohan Singh Bisht for 15.12.2023.

Sir,

With reference to your letter on the subject cited above. I am directed to forward herewith the requisite reply in respect of Vidhan Sabha Starred Question No.10B & C received from the respective Returning Officer of AC-70 (Karawal Nagar) Ward No.246 to 250 (MCD General Election 2022) for information and necessary action at your end.

423/Addl.CEO-I
11/12/23

Yours faithfully,

(P.K. Goel)
Dy. Secretary, SEC

Encl: as above

ACEO(SVEEP)
11/12/23

11/12/23
S.O (SVEEP)

41/c

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER/ ADDL. DISTRICT MAGISTRATE
WARD NO. 246, 247, 248, 249 AND 250 (AC-70)
GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
D.C. OFFICE COMPLEX, NAND NAGRI, DELHI-93
PH.NO. 22115490, EMAIL:- neadm@nic.in

F. NO./PA/ADM/NE/2023/1426-29 **DATED:** 11/12/23

विषय: माननीय विधान सभा सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा दिल्ली विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 10(ब), (स) (दिनांक 15.12.2023 के लिए) का उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत है

कृपया आपके समसंख्यक पत्र दिनांक 08.12.2023 और एसओ (एसईसी) पत्र दिनांक 09.12.2023 को उद्धृत विषय पर देखें, अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

01. प्रश्न संख्या 10 (बी) और (सी) का उत्तर

Q. No.	Question	Reply
10(ख)	क्या यह सत्य है की पिछले दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कुछ पोलिंग बूथ काट दिए गये थे	'हटाया गया' शब्द यहां सही अर्थों में लागू नहीं हो सकता है क्योंकि एमसीडी के पुनर्गठन और परिणामी वार्ड सीमाओं के परिसीमन के कारण एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले कुछ मतदान केंद्र अलग-अलग वार्डों के अंतर्गत आ गए थे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई तकि किसी भी मतदाता का मतदान केन्द्र उसके वार्ड से बाहर नहीं जाये। यह व्यवस्था केवल एमसीडी चुनावों के लिए लागू थी और लोकसभा या विधान सभा चुनावों के लिए लागू नहीं हैं, अतः लोकसभा या विधान सभा चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशन लोकेशन/पीएस वही रहेगा। इस प्रक्रिया में, उदारण के लिए विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, वज़ीराबाद रोड, बृजपुरी, दिल्ली के एक स्कूल में मतदान केंद्र नंबर 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 &203 जो पहले ड्राफ्ट मतदान केंद्र सूची में शामिल था, को अंतिम ड्राफ्ट रोलस (प्रकाशित हुआ 04.11.2022) में 03 स्कूलों अर्थात् एमसी प्राइमरी स्कूल चंदरपुरी, चांद बाग दिल्ली (पीएस नंबर 191, 192, 193, 194, 195 के लिए), स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, ई- ब्लॉक चांद बाग दिल्ली (पीएस नंबर 196, 197, 198, 199 के लिए) और नव भारत आदर्श पब्लिक स्कूल, एफ-ब्लॉक, गली नंबर 13, खजूरी खास दिल्ली (पीएस नंबर 200, 201, 202 और 203 के लिए) विभाजित कर दिया गया।
10(ग)	यदि हाँ, तो इन काटे गए पोलिंग बूथ को कब तक दोबारा जोड़ दिया जायेगा	उपरोक्त उल्लिखित कारण के अनुसार पुनर्स्थापन/ बहाली का प्रश्न नहीं उठता।

RETURNING OFFICER WARD-246, 247

02. सामुदायिक केंद्र ग्राम बदरपुर, खादर और विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, वजीराबाद रोड, बृजपुरी नामक दो मतदान स्थानों की स्थिति के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मतदान केंद्र की ड्राफ्ट/अंतिम सूची में ऐसा कोई स्थान सामुदायिक केंद्र ग्राम बदरपुर, खादर वार्ड संख्या 246 से 250 में मौजूद नहीं है।

एमसीडी के पुनर्गठन और परिणामी वार्ड सीमाओं के परिसीमन के कारण एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले कुछ मतदान केंद्र अलग-अलग वार्डों के अंतर्गत आ गए थे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई तकि किसी भी मतदाता का मतदान केन्द्र उसके वार्ड से बाहर नहीं जाये। यह व्यवस्था केवल एमसीडी चुनावों के लिए लागू थी और लोकसभा या विधान सभा चुनावों के लिए लागू नहीं हैं, अतः लोकसभा या विधान सभा चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशन लोकेशन/पीएस वही रहेगा।

इस प्रक्रिया में, उदारण के लिए विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, वज़ीराबाद रोड, बृजपुरी, दिल्ली के एक स्कूल में मतदान केंद्र नंबर 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 &203 जो पहले ड्राफ्ट मतदान केंद्र सूची में शामिल था, को अंतिम ड्राफ्ट रोलस (प्रकाशित हुआ 04.11.2022) में 03 स्कूलों अर्थात् एमसी प्राइमरी स्कूल चंदरपुरी, चांद बाग दिल्ली (पीएस नंबर 191, 192, 193, 194, 195 के लिए), स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, ई- ब्लॉक चांद बाग दिल्ली (पीएस नंबर 196, 197, 198, 199 के लिए) और नव भारत आदर्श पब्लिक स्कूल, एफ-ब्लॉक, गली नंबर 13, खजूरी खास दिल्ली (पीएस नंबर 200, 201, 202 और 203 के लिए) विभाजित कर दिया गया।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

11.12.23

RETURNING OFFICER, W-246 TO 250/
O/o ADDL. DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT NORTH- EAST

RETURNING OFFICER ★ WARD-246, 247 248, 249, 250 ★ MCD ELECTION-2022

11/12/2023

To,

Deputy Secretary (Admn.)
State Election Commission
Nigam Bhawan, Kashmere Gate
Delhi 110006

Copy to:

1. PS to DEO/DM, District North- East
2. PS to Secretary, State Election Commission, Kashmere Gate, Delhi 110006
3. PS to Addl. CEO-1, Kashmere Gate, Delhi 11006
4. Guard File

34/c

पृष्ठभूमि नोट w.r.L तारांकित प्रश्न संख्या 10 (ई)

1. EPIC (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) जारी करने के लिए मतदाता सूची में नाम अनिवार्य है।

2. मतदाता सूची में पहली बार मतदाता के नामांकन के लिए या किसी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में हटा दिया गया है, के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 में आवेदन जमा करना होगा (फॉर्म-6 की प्रति संलग्न है)।

3. मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार हेतु पते के नवीनीकरण करने के लिए फॉर्म-8 में आवेदन जमा करना होगा (फॉर्म-8 की प्रति संलग्र है)।

4. खो जाने, नष्ट हो जाने या कटे-फटे होने की स्थिति में EPIC के प्रतिस्थापन के लिए फॉर्म-8 में आवेदन जमा करना होगा

5. आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन मोड सहित विभिन्न मोड उपलब्ध कराए गए है।

<u>ऑनलाइन :</u>

a) ECI मतदाता पोर्टल: www.voters.eci.gov.in
b) मतदाता हेल्पलाइन ऐप
c) सक्षम ऐप (दिव्यांगजन हेतु)

<u>ऑफलाइन :</u>

फॉर्म संबंधित विधान सभा के संबंधित मतदाता केंद्रों पर भी जमा किया जा सकता है। मतदाता केंद्रों की सूची यहां उपलब्ध है:
https://www.ceodelhi.gov.in/NewContactPagen.aspx

6. मतदाता सूची में नामांकन के बाद, EPIC स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं के पंजीकृत पते पर पहुंचा दिया जाता है।

30/L

"प्ररूप-6

[नियम 13(1)और 26 देखिए]

भारत निर्वाचन आयोग

नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र

प्ररूप सं०. ________

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम सं. ☐ नाम ________

या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम@ सं. ☐ नाम ________

(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूं ।

(1)(क) नाम (राज्य की राजभाषा में)

प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम

उपनाम (यदि कोई हो)

सफ़ेद पृष्टभूमिके साथ पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्थाक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5से.मी. x 3.5से.मी.)की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

(1)(ख) नाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में)

प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम

उपनाम (यदि कोई हो)

अस्वीकरण: यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतरण किया जाएगा।

*(2)(क) नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम (राज्य की राजभाषा में) :-

☐ पिता या ☐ माता या ☐ पति या ☐ पत्नी या ☐ अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक / तृतीय लिंग की दशा में गुरु

*(2)(ख) उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम और उपनाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में)

(3) स्वयं का मोबाइल सं0 (यदि उपलब्ध है) (या)
मद सं.2 पर उल्लिखित नातेदार की मोबाइल सं०.

(4) स्वयं का ई-मेल खाता (यदि उपलब्ध है) (या) ________
मद सं.2 पर उल्लिखित नातेदार का ई-मेल खाता ________

(5) आधार का ब्यौरे:-(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(क) ☐ आधार सं0 या

(ख) ☐ मै आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है ।

(6) लिंग ☐ पुरुष ☐ स्त्री ☐ तृतीय लिंग

(7) (क) जन्म तारीख ता ता / मा मा / व व व व

(ख) आयु के सबूत के समर्थन मे दस्तावेज की स्व:प्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्मलिखित मे से कोई एक)

(i)<u>जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज</u>^;(इनमे से कोई एक)

1. ☐ सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ पैन कार्ड
4. ☐ चालन अनुज्ञप्ति
5. ☐ सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डो द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाणपत्र, यदि इनमे जन्म तारीख अंतर्विष्ट है।
6. ☐ भारतीय पासपोर्ट

ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्ये दस्तावेज़:-(यदि कोई प्रमुख दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करे) ________

(8)(क) वर्तमान साधारण निवास(पूरा पता)	मकान/भवन/अपार्टमेंट सं0	गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र\मोहल्ला/रोड
	नगर/गाँव	डाक घर
	पिन कोड	तहसील/तालुका/मंडल
	जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करे)

(i) निवास के सबूत के रूप मै प्रमुख दस्तावेज^:- (इनमे से कोई एक)

1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनैक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का)
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक
4. ☐ भरतीय पासपोर्ट
5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है
6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा मे)

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज: -
(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
#____________________

(9)दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित ☐ दृष्टि ☐ मूक-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें) ____________________

दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार है:
परिवार के सदस्य का नाम:____________________ आवेदक के साथ संबंध____________________
उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं०: ____________________

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, --
(i) मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान है :--____________________ ग्राम/शहर ____________________ जिला ____________________ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) में दिए गए पते वाले स्थान में ____________________ (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।
(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।
(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थनमे ____________________ (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।.
(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख:____________________
स्थान:____________________

आवेदन के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंध के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा ।

टिप्पण-

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा ।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

आवेदन के लिए स्वीकृति / रसीद

अभिस्वीकृति संख्या ____________________ तारीख____________________
श्री/श्रीमती/ सुश्री____________________का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।
[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर

प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **सामान्य अनुदेश:-**

क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) /संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफ़िसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।

*(घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखे खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी): ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात् समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **मद (1)* (नाम):** सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती है।
3. **मद (2क) और मद (2ख) *(नातेदार का नाम और उपनाम) :** विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)
4. **मद (5) आधार के ब्यौरे** : प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।
5. **मद (6) (लिंग)** :

*(क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष'/'स्त्री'/'तृतीय लिंग' चिन्हित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरूष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. **मद (7) (क) (ख) (जन्म तारीख)**:

*(क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7 (ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. **मद (8) (वर्तमान साधारण निवास)** :

*(क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक / माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों ।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते है, नामांकन करा सकते हैं।

8. ***घोषणा** : "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

"कृपया ध्यान दे कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा"।

"प्ररूप-8

(नियम 13(3) और 26 देखें)

प्ररूप सं०. ____________

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/ निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्रारूप

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं. [ ] नाम ____________

या सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@ सं. [ ] नाम ____________

(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

(I) आवेदक का नाम [ ]

ईपीआईसी सं ____________

आधार ब्यौरे (*कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं*)

(क) [ ] आधार संख्यांक [ ] या

(ख) [ ] मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है।

स्वयं का मोबाइल संख्या [ ] (या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या, (यदि उपलब्ध हो) [ ]

स्वयं का ई-मेल आईडी ____________ (या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) ____________

(II) मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं (निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

1. [ ] निवास का स्थानांतरण (या)
2. [ ] विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या)
3. [ ] बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन का मुद्दा और
4. [ ] दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिह्नांकित करने हेतु अनुरोध

1. निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन:

मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए ।

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए । अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूं।

वर्तमान मामूली निवास (पूर्ण पता)	भवन/मकान/अपार्टमेंट सं0		गली/क्षेत्र/स्थान/मोहल्ला/सड़क	
	नगर/ग्राम		डाकघर	
	पिन कोड		तहसील/तालुका/मंडल	
	जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	

पते के साक्ष्य की एक स्वतः अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बालक, में से किसी एक, यदि वह उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) <u>निवास के सबूत के रूप मै प्रमुख दस्तावेज^:-</u> (इनमे से कोई एक)

1. [ ] उस पते का (कम से कम एक वर्ष) जल/विद्युत/गैस कनेक्शन बिल
2. [ ] आधार कार्ड
3. [ ] राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पासबुक
4. [ ] भरतीय पासपोर्ट
5. [ ] राजस्व विभाग का भूमि स्वामिस्व रिकार्ड जिसमें किसान बही भी है
6. [ ] रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
7. [ ] रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ____________

2. विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन

कृपया निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी में मेरे निम्नलिखित ब्यौरे का सुधार करें ।
(अधिकतम 4 प्रविष्टियों/विशिष्टियों का सुधार किया जा सकता है)
(कृपया नीचे समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)
दावे के समर्थन में स्वतः अनुप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें

1. ☐ नाम 2. ☐ लिंग 3. ☐ जन्म तारीख / आयु
4. ☐ नाते का प्रकार 5. ☐ नातेदार का नाम 6. ☐ पता
7. ☐ मोबाइल संख्या 8. ☐ फोटो

नवीनतम पासपोर्ट आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए, श्वेत पृष्ठभूमि सहित (4.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान, (केवल तभी जब फोटो परिवर्तित किया जाए)

सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही विशिष्टियां निम्नानुसार है

उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे वैयक्तिक ब्यौरों में परिवर्तन के कारण मुझे प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए ।
अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूं।

3. बिना सुधार किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी करने हेतु आवेदन

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए क्योंकि मेरा मूल ईपीआईसी निम्नानुसार है:-
(समुचित बाक्स में सहीं का निशान लगाएं)

☐ खो गया ☐ नियंत्रण से परे कारण के कारण बाढ़, अग्नि, अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के कारण नष्ट हो गया

☐ कट-फट गया

अतः, मैं अपने कटे-फटे/पुराने ईपीआईसी को वापस करता हूं (या) मैंने खोए हुए ईपीआईसी के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर पर प्राप्त होता है ।

4. दिव्यांगजन के रुप में चिह्नांकित करने हेतु आवेदन

दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

☐ लोकोमोटिव ☐ दृष्टिक ☐ मूक-बधिर ☐ यदि कोई अन्य है (वर्णन करें)........................

दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाऐं) ☐ हां ☐ नहीं

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।

तारीख:________________

स्थान:________________

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

सुगम्यतात्मक अनुदेश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यांगता आदि की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा ।

^प्रमुख दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।

✂ **आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद** ✂

अभिस्वीकृति सं. ______________________________ तारीख____________________

श्री/श्रीमती/ सुश्री______________________________का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर

आवेदन को भरने के लिए दिशानिर्देश

प्ररूप-8

1. **सामान्य अनुदेश :**

(क) निवास स्थान बदलने के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्लूडी के रूप में चिन्हित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत/अभ्यावेशित निर्वाचक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा आवास बदलने, प्रविष्टियों के सुधार करने और बिना संशोधन किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए आवेदन की मंजूरी के मामले में आवेदक को एक नया प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाएगा और उसे अपने पुराने ईपीबाईसी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल वापस करना होगा।

2. **मद सं. 1 (आवेदक का नाम)-** आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी सं.. आधार संख्या, मोबाइल नंबर और स्वयं या इसमें उल्लिखित संबंधी की ई-मेल आईडी वर्णित करेगा। प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या देनी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो उसका उल्लेख मद 1(ख) के बाक्स में किया जा सकता है।

3. **मद सं. 2 (आवेदन के लिए विकल्प)** आवेदक, आवेदन के किसी एक विकल्प पर टिक करेगा और आवेदन के सुसंगत खंड में ब्यौरों को भरेगा। अन्य सभी खंड, जो सुसंगत नहीं है उन्हें काट दिया जाना चाहिए।

4. **निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन** (क) आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। (ख) आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा, जहां वह स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में रह रहा है और अपने स्वयं के नाम पर या अपने माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रूप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा। वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा जो उसने पते के प्रमाण के रुप में दिया है। मूल दस्तावेज सेवाओं का त्वरित परिदान सुनिश्चित करेगा। यदि उसके पास कोई मूल दस्तावेज नहीं है, तो उसे रिक्त स्थान में पते के प्रमाण के लिए दिए गए अन्य दस्तावेज के नाम का उल्लेख करना होगा।

5. **विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन** (क) यदि कोई आवेदक निर्वाचक नामावली में उससे संबंधित किसी मौजूदा प्रविष्टि को सही करना चाहता है तो उसे उपयुक्त बाक्स में टिक करना होगा और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करना होगा। दिए गए खाली स्थान में दस्तावेज का नाम अवश्य उल्लिखित करना चाहिए।
(ख) यदि आवेदक अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से मी. X 3.5 से.मी) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्टभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा।

6. **बिना सुधार के ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन** ईपीआईसी को प्रत्स्थापित करने के लिए आवेदक को उपयुक्त बाक्स में एक टिक लगाना होगा। वह अपने विकृत/पुराने ईपीआईसी को वापस करेगा या खोए हुए ईपीआईसी के लिए एफआईआर की कापी प्रस्तुत करेगा।

घोषणा- आवेदक को घोषणा करना होगी कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे/मेरी सर्वेत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सहीं हैं।

कृपया ध्यान दें कि घोषणात्मक भाग में कोई गलत कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।